क्रम-संख्या–637

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–[illegible]

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 28, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1659/सत्रह–वि–1–1 (क) 26-1986

लखनऊ, 19 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 1986 के रूप में सर्वधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा । *संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*

(2) यह 26 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में, उपधारा (3) में,--

(एक) खण्ड (बी) में, अंक और शब्द "5 रुपये प्रति लीटर अल्कोहल" जो उक्त खण्ड से संलग्न तालिका में मद 1 और 2 के सामने आये हैं, उनके स्थान पर अंक और शब्द "20 रुपये प्रति लीटर अल्कोहल" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (डी) में, अंक और शब्द "14 रुपये प्रति किलोग्राम" जो उक्त खण्ड से संलग्न तालिका में मद 4 के सामने आये हैं, उनके स्थान पर अंक और शब्द "25 रुपये प्रति किलोग्राम" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1986)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव।

No. 1659 (2) /XVII-V-1—1 (KA) 26-1986

Dated Lucknow, September 19, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 18, 1986.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act No. 19 of 1986)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the U. P. Excise Act, 1910

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 26, 1986.

Amendment of section 28 of U. P. Act no. 4 of 1910

2. In section 28 of the U. P. Excise Act, 1910 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3),—

(i) in clause (*b*), *for* the figure and words, "5.00 per litre of alcohol", occurring against items 1 and 2 in the table appended to the said clause, the figure and words "20.00 per litre of alcohol" shall be *substituted* ;

(ii) in clause (*d*), *for* the figure and words, "14 per kg.", occurring against item 4 in the table appended to the said clause, the figure and words, "25 per kg.", shall be *substituted.*

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed. (U. P. Ordinance no. 5 of 1986)

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 88 सा0 (विधा0)—(1602)—1986—850 (मेके0)।